कार्यालय
निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 1509-1513 /जी– 428(स्थानान्तरण–2024)/2024–25 दिनांक–08 जून 2024

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक–05 जनवरी 2018 जिसके द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक–2017 प्रख्यापित किया गया है, के प्राविधानानुसार विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नानुसार परिचारिकाओं (स्टाफ नर्स) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–3 में उल्लिखित तैनाती स्थान से स्तम्भ–4 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती मेघा उनियाल	रा0आ0चि0 रूड़की हरिद्वार	रा0आ0चि0 चम्बा, टिहरी	जनहित–धारा 7 (क)
2	श्रीमती आरती पँवार	रा0आ0चि0 नरेन्द्रनगर टिहरी	रा0आ0चि0 चम्बा, टिहरी	जनहित–धारा 7 (क)
3	श्रीमती दीपशिखा कैन्तुरा	रा0आ0चि0 रूड़की हरिद्वार	रा0आ0चि0 पंचकर्म बडकोट उत्तरकाशी	अनुरोध धारा–17(1)(ख) (6)
4	श्रीमती अर्चना	रा0आ0चि0 पौड़ी मुख्यालय	रा0आ0चि0 कोटद्वार पौड़ी	अनुरोध धारा–17(1)(ख) (6)
5	श्रीमती अतिका शर्मा	रा0आ0चि0 नरेन्द्रनगर टिहरी	रा0आ0चि0 माजरा, देहरादून	अनुरोध धारा–17(1)(ख) (1)

1. सम्बन्धित कार्मिक आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना वर्तमान तैनाती स्थान से अवमुक्त/कार्यमुक्त होगें। स्थानान्तरित कार्मिक धारा–22(12) के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगें। निर्धारित समायान्तर्गत अवमुक्त/कार्यमुक्त न होने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण करने की अवधि (JOINING TIME) का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेगें तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेगें।
2. स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिवस के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा, जिसके द्वारा प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर दिया जायेगा।

08/06/24
(डा0 विजय कुमार जोगदण्डे)
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव।

1. सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समस्त जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धि जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(डा0 विजय कुमार जोगदण्डे)
निदेशक